कार्यालय : अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमंद

क्रमांक:– 136 दिनांक:– 23-12-20

पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद, तालुका विधिक सेवा समितियों पंचायत समिति मुख्यालयों, कारागृहों में स्थापित विधिक सेवा केन्द्रों पर विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रसार हेतु कुल 10 पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स (पी.एल.वी.) की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु जारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी पी.एल.वी. की नियुक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) & NALSA (Legal Services Clinics in Universities, Law Colleges and other Institutions) Scheme, 2013 में दिये गये दिशानिर्देशों तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार की जाएगी।

पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे।

(1) **शैक्षणिक योग्यता** :– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र** :– इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा** :– आवेदकों का साक्षात्कार द्वारा चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। चयनित पीएलवी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।

(4) **चरित्र** :– आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।

(5) **शारीरिक योग्यता** :– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावे** :–

1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

2–शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।

3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

4– आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।

5– जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

6– 02 लिफाफे 10 गुणा 24 सेमी आकार के 5/– रूपये के डाक टिकट व स्वंय के पूर्ण पते सहित।

(7) आवेदन की अंतिम तिथि :–आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 08-01-2021 **तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा कार्यालय समय तक पहुँच जाना चाहिए।** तालुका स्तर के आवेदनकर्ता अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालयों पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के सलंग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता :– आवेदक राजसमंद जिले में निवास करता हो। पी.एल.वी. चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते है।

(9) विज्ञापित पदों की संख्या:–

क्रम संख्या	मुख्यालय का नाम	नवीन भर्ती के माध्यम से लिये जाने वाले पीएलवी की संख्या
01	राजसमंद मुख्यालय	01
02	पं0स0 खमनोर	01
03	पं0स0 देलवाड़ा	02
04	पं0स0 कुंभलगढ	03
05	पं0स0 आमेट	03
कुल योग		**10**

(10) मानदेय:– प्रत्येक पैरालीगल वालन्टियर को प्रति कार्य दिवस 500/– रूपये का मानदेय वास्तविक कार्य किये जाने के आधार पर देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। पीएलवी को अधिकतम 7000/– रूपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा।

सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डबल्यू.छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वंय सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी.के कर्त्तव्य (ड्यूटी):

1– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

2– आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

3– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.स. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना,

7– विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– पी.एल.वी. द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9– पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है।

10– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न एवं नवीनतम योजनाओं का एवं योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचारित व प्रसारित करना।

नोटः–

1. निम्नलिखित व्यक्ति पैरालीगल वॉलियन्टीयर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं:–

अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलेन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलेन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो।

2. पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबधित संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के पास सुरक्षित रहेंगे।

(9) **स्पष्टीकरण** :– यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र मे पी. एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक स्थान अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र मे यह भी

अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर या गांव स्तर पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
राजसमंद

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा. / 2020 / दिनांक : 23.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2 जिला कलक्टर, राजसमन्द
3 अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राजसमन्द
4 अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति
भीम / देवगढ / आमेट / कुंभलगढ़ / नाथद्वारा / रेलमगरा
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमन्द
6 तहसीलदार,
राजसमंद / भीम / देवगढ / नाथद्वारा / कुंभलगढ़ / आमेट / रेलमगरा
7 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द
8 प्राचार्य, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द
9 विकास अधिकारी पं.स.
राजसमन्द / भीम / देवगढ / नाथद्वारा / कुंभलगढ़ / आमेट / रेलमगरा
10 उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजसमन्द
11 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजसमन्द
12 जिला समाज कल्याण अधिकारी, राजसमन्द
13 आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द
14 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजमसन्द
15 जिला रोजगार अधिकारी, राजसमन्द
16 रेडक्रास सोसाइटी, राजसमन्द / भारत विकास परिषद, राजमसन्द / महिला मंच, राजमसन्द / महावीर इन्टरनेशनल, राजसमन्द / सेन्टर रुलर डवलपमेन्ट, राजसमन्द
17 नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
18 नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
राजसमन्द

पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम आवेदक	:	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2. पिता / पति का नाम	:	
3. आवेदक के पति / पत्नी का नाम	:	
4. जाति	:	
5. संवर्ग–सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:	
6. स्थायी पता मय दूरभाष / मोबाइल नम्बर	:	
7. वर्तमान पता	:	
8. निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
9. जन्म तिथि (अंकों में)	:	
(शब्दों में)	:	
वर्तमान आयु	:	
10. शैक्षणिक योग्यता	:	
11. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है,तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:	
12. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है तो पूर्ण विवरण	:	
13. राष्ट्रीयता	:	

14. आवेदक पीएलवी के रूप में स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है: 1. राजसमन्द मुख्यालय 2. ताल्लुका .... 3. गांव ....

15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, N.G.O.या किसी विशेष ग्रुप से जुडा है तो उसका विवरण लिखें : ....
....

16. ई–मेल आईडी ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता / करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है ।

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)